

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 395126 395126

विक्रय विलेख

बिक्री पत्र कीमति 21,00,000=00 रूपया अक्षरी इक्कीस लाख रूपया
बाजार मूल्य 21,00,000=00 रूपया अक्षरी इक्कीस लाख रूपया

भारतीय मुद्रांक शुल्क	105000=00
न.पा.मुद्रांक शुल्क	21000=00
उपकर	.....=00
अधिक	.....=00
योग	1,26,000=00

संलग्न स्टाम्प :–25000x2,15000x5,1000=1,26,000रूपया

विक्रेता :– ... श्रीमती अर्चना जैन उम्र 46 साल पति श्री अजय जैन
निवासी बस्तर रोड मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी
तहसील व जिला–धमतरी (छ.ग.)
PAN NO.ACHPJ0043P

इन्हे आगे इस विलेख में विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है जिनमें उनके दावेदार उत्तराधिकारी,हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के प्रशासक सम्मिलित समझे जावेंगे ।)

दिनांक 16.9.16

सम्पत्ति / विक्रेता श्रीमती अर्चना पति श्री अजय जैन

जाति जैन ग्राम धमतरी

क्रेता निहेरा कुमार वल्द श्री चन्द्रहास प्रसाद गुप्ता

जाति गुप्ता ग्राम पेड्रा (बिलासपुर) हा.नि. धमतरी

मार्फत / विक्रेता / क्रेता / खुद एम. जे. लछवानी

वल्द जाति ग्राम अधिवक्ता धमतरी

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य 25000 बिक्री पत्र की पत्री 2100,000 = 00

लेने वाले के दस्ता.

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर, धमतरी

25000 x 2 = 50,000 = 00
15000 x 5 = 75000 = 00
1000 x 1 = 1000 = 00
126,000 = 00

अर्चना पति अजय जैन

के द्वारा उप-जिला धमतरी जिला धमतरी के उप-पंजीयक के कार्यालय में तारीख 16 SEP 2016 को म. पू./म. प. 4:30 बजे प्रस्तुत किया गया।

उप-पंजीयक धमतरी

Smt Archana Jain

(क) मूल्यांकन के अन्तर्गत	105000.00
(ख) [illegible]	
(ग) [illegible] के अन्तर्गत [illegible] शुल्क	
(घ) [illegible] शुल्क	21000.00
(ङ) उपकर	
(च) अधिक शुल्क [illegible]	
कुल	126000.00

अतिरिक्त शुल्क

[illegible]

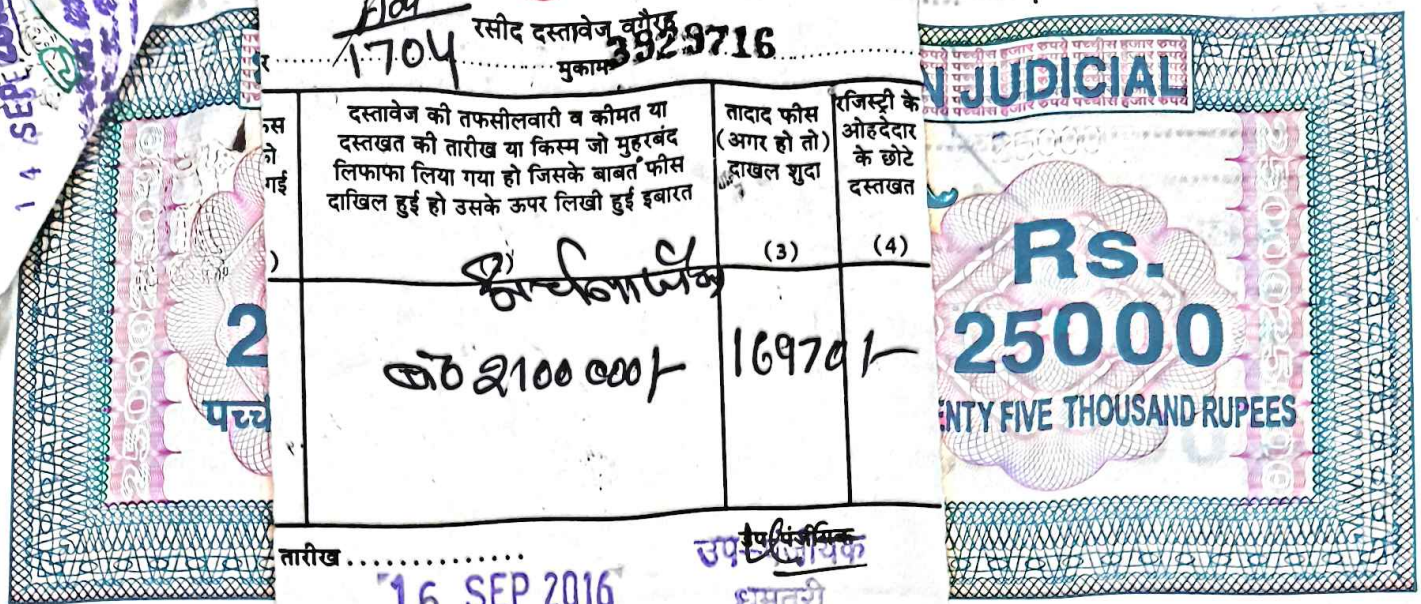

Adl 3040
1704 रसीद दस्तावेज वगैरह 3929716
मुकाम

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
(1)	(3)	(4)
कार्यनाशक को 2100000/-	16970/-	

तारीख ..... 16 SEP 2016
उप पंजीयक
धमतरी

N JUDICIAL
Rs. 25000
ENTY FIVE THOUSAND RUPEES

छत्तीसगढ़ CHHA

395127

::2::

क्रेता :- निलेश कुमार गुप्ता उम्र 45 साल पिता श्री चन्द्रहास प्रसाद गुप्ता निवासी अग्रसेन भवन के पीछे अमरापुर रोड पेन्ड्रा बिलासपुर हाल मुकाम आमातालाब रोड धमतरी जिला-धमतरी मो.नं. 90985-45376

(जिन्हे आगे इस विलेख में क्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है जिनमें उसके दायद उत्तराधिकारी,हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के प्रशासक एवं भागीदार भी सम्मिलित समझे जावेंगे)

विक्रयकृत फ्लैट का विवरण :-

विक्रेता के स्वामित्व व आधिपत्य में आमापारा वार्ड धमतरी वार्ड क्रमांक 12 धमतरी प.ह.नं. 16/22 राजस्व निरीक्षक मंडल धमतरी तहसील वो जिला धमतरी एवं नगर पालिका के अनुसार ,आमापारा वार्ड वार्ड क्रमांक 12 धमतरी तहसील वो जिला धमतरी (छ.ग.) में स्थित अरिहंत अपार्टमेंट में फ्लेट कमांक डी.02 (मुनिसुव्रत)जो चतुर्थ तल में स्थित है जिसका सुपर बिल्टप एरिया 910 वर्गफुट / 84.57 व.मी. (2BHK) एवं शीट नंबर (नजूल)32सी.भूखंड क्रमांक 84/1 क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर एवं प्लाट नंबर 84/3 का भाग है एवं जिसे विस्तृत रूप से संलग्न नक्शों में लाल लकीरों से घेरकर दर्शाया गया है । ''अरिहंत श्रीआपर्टमेन्ट'' ईमारत पुत्री शाला से आमापारा चौक तक से 150 फुट दूर स्थित है । बिक्रीत संपत्ति पर जो भी लगान देय होगा उसे क्रेता अदा करने हेतु बंधनकारी रहेगा ।

Smt Archana Jain

नं. 2255 दिनांक 16.9.16

उपपंजीयक/निबंधक ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

क्रेता ..... मुल्क .....

जाति ..... ग्राम .....

नाबालिग/विक्रेता/क्रेता/खु .....

वल्द ..... जाति ..... ग्राम .....

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य .....

नेने वाले के हस्ता.

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर, धमतरी

विक्रेता - अर्चना पति अजय जैन
नि० बस्तर रोड मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी

क्रेता - निलेश कुमार पिता चन्द्रहास प्रसाद गुप्ता
नि० अमरापुर रोड पेन्ड्रा बिलासपुर
हाल मु० आमातालाब रोड धमतरी

तहसील दो जिला धमतरी स्वीकार करते हैं कि तथा कथित विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूरे आंशिक रु. प्राप्त हो गये तथा रु. ..... मेरी उपस्थिति में चुकाये गये हैं और प्रतिफल की बकाया रकम यथा रु. ..... दब गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।

दैनान्त
2100000/- इक्कीस लाख रुपये मात्र

1. दीपक पिता मोहनलाल जैन नि० बस्तर रोड धमतरी
2. इन्द्रजीतसिंह पिता आर.एस. ठाकुर नि० जालमपुर वार्ड धमतरी

की जाँच पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्ता का विनिश्चित के विषय में की गई।
आज दिनांक 16 SEP 2016

उप-पंजीयक धमतरी



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 319207 319207

विक्रयकृत फ्लैट की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:-

उत्तर दिशा में	:-	नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत अभिन्यास एवं नगर पालिका परिषद से स्वीकृत मानचित्र अनुसार है जो संलग्न है ।
दक्षिण दिशा में	:-	
पूर्व दिशा में	:-	
पश्चिम दिशा में	:-	

विक्रय मूल्य :-

कुल कीमत रूपये 21,00,000/-रूपये अक्षरी इक्कीस लाख रूपया निम्नानुसार आपस में प्राप्त कर लिया हूं ,जिसे विक्रेता एतद् द्वारा प्राप्त करना स्वीकार करती है,अत्र पश्चात् विक्रेता का क्रेता से बिक्रीत संपत्ति पेटे कोई राशि लेना शेष नही है ,सो सनद् रहे ।

दिनांक	चेक नंबर/नगद	रकम	बैंक का नाम
	नगद	11,000/-	
16.09.2016	चेक नंबर 000026	2,89,000/-	एच.डी.एफ.सी.बैंकधमतरी
16.09.2016	333127	18,00,000/-	छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक धमतरी .

Smt Archana Jain

9956 दिनांक 16-9-16

समर्थकता/विकेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

क्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

मार्फत/विकेता/क्रेता .....

वल्द ..... जाति ..... ग्राम .....

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य 15000/-

लेने वाले के हस्ता.



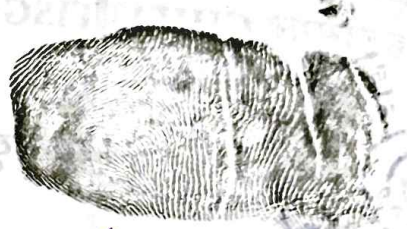

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर, धमतरी

Smt Archana Jain

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
..... के अंगुष्ठ का
निशान मेरे समक्ष दिनांक .....
को लिया गया है। 16 SEP 2016

उप-पंजीयक धमतरी

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
..... के अंगुष्ठ का
निशान मेरे समक्ष दिनांक .....
को लिया गया है। 16 SEP 2016

उप-पंजीयक धमतरी



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 319215 319215

नोट :- बिक्रीत संपत्ति में वृक्ष कुआं इत्यादि नही है बिक्रीत संपत्ति में लगान के अतिरिक्त अन्य टेक्स देय नहीं है । बिक्रीत संपत्ति विक्रेता की स्वत्व एवं धारण की संपत्ति है , बिक्रीत संपत्ति पर किसी अन्य का हक ,दखल दावा अधिकार वो हिस्सा नही है ।बिक्रीत संपत्ति से मोटर स्टैण्ड ,रेल्वे स्टेशन एवं शैक्षणिक संस्था ,बाजार ,कार्यालय शासकीय अस्पताल करीब 1/ 4 कि.मी. से 02 कि.मी.की दूरी पर है । आने जाने के लिए कालोनी का रास्ता है ।

चूंकि आज दिन मुझे अपनी संपत्ति की उचित कीमत प्राप्त हो रही है इसलिए मेरे द्वारा अपने स्वत्व एवं धारण की उपरोक्त संपत्ति को उपरोक्त लिखे क्रेता के पास उपरोक्त लिखे कीमत में सदा दिन के लिए विक्रय कर कब्जा वो धारण दे दी हूं ,अब उपरोक्त संपत्ति पर मेरा वो मेरे दिगर वारिसान खानदान का कोई हक दखल दावा वो अधिकार नहीं रहा ,यदि कोई दावा करेगा तो वह गलत माना जावेगा बिक्रीत संपत्ति हर प्रकार के कर्ज भारों से पूरी तरह मुक्त है यदि भविष्य में उपरोक्त संपत्ति का अंश या पूर्ण भाग वर्तमान क्रेता के धारण से किसी के आक्षेप से निकल जावेगा तो मैं खुद वो मेरी दिगर संपत्ति खरीदी मूल्य मय घाटा तरक्की वो नुकसानी की देनदार वर्तमान क्रेता को रहूंगी ,इस विलेख के आधार पर क्रेता को संपत्ति के सारे हित वो अधिकार प्राप्त हो जावेगें एवं वह अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवाकर जिस प्रकार चाहे पूर्ण स्वामित्व के उपयोग ,उपभोग ,कर सकेंगा जिसमें मुझे आपत्ति नही होगी ।

Smt Archana Jain

क्रमांक 9957 दिनांक 16.9.16

सम्पर्ककर्ता / विक्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

क्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

मार्फत / विक्रेता / क्रेता / खुद .....

वल्द ..... जाति ..... ग्राम .....

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य .....

लेने वाले के हस्ता.

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर, धमतरी







छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 319216 319216

अन्य जानकारी इस प्रकार है :-

01. मुद्रांक विधान की धारा 27 के अनुसार संपत्ति के सही जानकारी दी गयी है।
02. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंघन नही किया गया है
03. इस विलेख का स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का खर्च क्रेता का है ।
04. विक्रेता ने बिक्रीत संपत्ति दीपक जैन से पंजीकृत बिकी पत्र द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त किया है ।उक्त विकय पत्र का पंजीयन दिनांक 02.01.2015 को उप पंजीयक कार्यालय ६ मतरी में ग्रंथ कमांक 9642 के दस्ता. कं. 1936 देकर किया गया है साथ ही केता के द्वारा अरिहंत अपार्टमेंट के समस्त नियमो को पढकर समझ लिया है एवं उसमें लिखित सभी बातो का पालन करेगा साथ ही अरिहंत अपार्टमेंट के सदस्य के रूप में जो भी रख.रखाव का खर्च प्रतिवर्ष देय होगा उसे अदा करने के लिए केता बाध्य रहेगा एवं केता कय शुदा मकान में शाकाहारी का ही उपयोग करेगा अर्थात मांस एवं उससे संबंधित चीजो का उपयोग एवं नशीले पदार्थो का प्रयोग नही करेगा साथ ही यदि संपत्ति किराये पर दी जावेगी तो भी किरायेदार को इसका पालन किया जाना होगा एवं यदि भविष्य में केता संपत्ति को विकय करेगा तो भी इस शर्त पर ही विकय करना अनिवार्य होगा अन्यथा विकय पत्र को शुन्य घोषित किया जावेगा ।

अतएव यह बिक्री पत्र समक्ष साक्षियों के लिखाकर पढ़कर ,पढ़ाकर सुनकर ,समझकर एवं सही पाकर स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी डर दबाव के स्वस्थ्य चित अवस्था में रह कर अपना हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा कर पंजीयन करा दिये कि सनद् रहे वक्त जरूरत पर काम आवें मूल प्रति से अन्य प्रतियों का आपस में मिलान किया गया जो सही पाया गया

Smt Archana Jain

क्रमांक ..... 3359 ..... दिनांक ..... 16.9.16 .....

उपयोगकर्ता/विक्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

क्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

मार्फत/विक्रेता/क्रेता/खुद .....

वल्द ..... जाति ..... ग्राम .....

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य ..... 15000 .....

लेने वाले के हस्ता.

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर, धमतरी



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 319218 319218

विक्रय विलेख

विक्री पत्र कीमति 21,00,000=00 रूपया अक्षरी इक्कीस लाख रूपया

बाजार मूल्य 21,00,000=00 रूपया अक्षरी इक्कीस लाख रूपया

के इस विलेख का यह स्टाम्प आवश्यक अंग है

.....

Smt Archana Jain

क्रमांक 2252 दिनांक 16.9-16

उपयोगकर्ता/विक्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

क्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

मार्फत/विक्रेता/क्रेता/रु .....

वल्द ..... जाति ..... ग्राम .....

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य ..... 1500 .....

लेने वाले के हस्ता.

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर, धमतरी





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

D 309457

विक्रय विलेख

विक्री पत्र कीमति 21,00,000-00 रूपया अक्षरी इक्कीस लाख रूपया

बाजार मूल्य 21,00,000-00 रूपया अक्षरी इक्कीस लाख रूपया

के इस विलेख का यह स्टाम्प आवश्यक अंग है

.....

Smt Archana Jain

क्रमांक ..... 7961 दिनांक 16.9.16

[illegible] ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

क्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

[illegible] / विक्रेता / क्रेता / खुद .....

वल्द ..... जाति ..... ग्राम .....

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य .....

लेने वाले के हस्ता.

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर धमतरी

U 8 SEP 2016

उप-जिला धमतरी के पुष्प
Seal of the Sub-R





घोषणा पत्र /शपथ पत्र

विक्रेता :–श्रीमती अर्चना जैन उम्र 46 साल पति श्री अजय जैन निवासी बस्तर रोड मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी तहसील व जिला–धमतरी (छ.ग.) PAN NO.ACHPJ0043P

क्रेता :–निलेश कुमार गुप्ता उम्र 45 साल पिता श्री चन्द्रहास प्रसाद गुप्ता निवासी अग्रसेन भवन के पीछे अमरापुर रोड पेन्ड्रा बिलासपुर हाल मुकाम आमातालाब रोड धमतरी जिला–धमतरी मो.नं. 90985–45376

विक्रय की गई भूमि के संबंध में सत्यनिष्ठा से शपथ पूर्वक कथन करते है कि :–

01. यह कि क्रय –विक्रय की गई कशषि भूमि,भूदान /शासकीय पट्टे अथवा शासकीय पट्टे पर प्रदत्त भूमि स्वामित्व की जमीन है /नही है । (जो लागू न हो उसे काट दिया जाये)

" नही है।"

02.यह कि भूमि मुख्य मार्ग लगी है /नही लगी है । (यदि नही लगी है तो दूरी अंकित करें ।)

	मुख्य मार्ग का नाम	मुख्य मार्ग से लगी है / नही	दूरी
अ.	राष्ट्रीय राजमार्ग	हॉ / नही	–
ब.	राज्य मार्ग	हॉ / नही	150फुट दूर
स.	जिला मार्ग	हॉ /नही	–
द.	ग्राम मार्ग	हॉ/नही	–

(प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना)

03. यह कि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नही है /है।
(यदि है तो निर्माण के विवरण को अंकित किया जाए)

"चतुर्थ तल में 910 व.फु.निर्मित है"

04. यह कि भूमि पर किस –किस प्रकार के सिंचाई के स्त्रोत स्थित है /नही है ।
(यदि है तो उल्लेखित किया जाये)

क्र.	सिचांई के स्त्रोत	स्थित है /नही	विवरण
1	सिंचाई का स्त्रोत	हॉ/नही	लागू नही
2	नलकूप	हॉ/नही	
3	कुआँ	हॉ/नही	
4.	नहर	हॉ/नही	

05. यह कि भूमि पर किस–किस प्रजाति के वशक्ष है /नही है ।(यदि है तो उल्लेखित किया जाए)

क्र.	वृक्ष के प्रकार	संख्या
1	*" नही है "*	

06. यह कि भूमि का किस्म जैसे धनहा / कन्हार / गभ्भार / बहरा / मटासी/डोरसा/ कछार / भाठा /सिंचित /असिंचित /एकफसली /द्विफसली (फसल का नाम) इत्यादि है। (जो लागू न हो उसे कॉट दिया जाए) *"लागू नही है "*

07. यह कि भूमि आवासीय / व्यवसायिक /कशषि प्रयोजन के लिए क्रय की जा रही है ।
(जो लागू न हो उसे कॉट दिया जाये) *"आवासीय "*

अत: मैं / हम क्रेता / विक्रेता शपथपूर्वक कथन करते है कि विक्रयशुदा भूमि का मैं पूर्ण स्वामी हूं , जो सभी तरह से विवाद रहित है एवं विलेख में बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्यों को नही छुपाया गया है। उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है । दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर संपूर्ण जवाबदारी हमारी होगी तथा हमारे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी (छ.ग.)

क्रमांक 49 धमतरी, दिनांक 28.07.11

(भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र)

धमतरी नगर पालिका की भवन निर्माण उपविधियां 1976 की उपविधि 4 के अधीन

श्री दीपक जैन आ. मोहनलाल जैन निवासी बस्तर रोड धमतरी द्वारा स्वत्व की भूमि आमापारा वार्ड में नजूल शीट क्रमांक 32 सी प्लाट क्रमांक 84/1, 84/3 कुल रकबा 1270 वर्गमीटर पर नगर पालिका परिषद्, धमतरी को दी गई सूचना के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन संलग्न रेखांक के अनुसार भवन निर्माण की मंजूरी प्रदान की जाती है।

01. सामने सड़क के मध्य से 15 फूट भूमि छोड़कर भूखण्ड रेखा मानी जायेगी।
02. निर्मित क्षेत्र मानचित्र अनुसार वर्गमीटर से अधिक नहीं।
03. उपान्तीय खुला क्षेत्र सामने मानचित्र अनुसार, बाजू मानचित्र अनुसार, पीछे मानचित्र अनुसार रखा जावे।
04. निर्मित क्षेत्रफल 31.20 % तथा फर्शी क्षेत्रफल अनुपात 1.24 होगा।
05. रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया हेतु प्रावधान किया जावे।
06. अग्निशमन की व्यवस्था के लिये छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17(6) के समस्त प्रावधान लागू होंगे तथा एन. बी. सी. पार्ट IV के प्रावधान भी लागू होंगे।
07. भूकम्प रोधी संरचना के प्रावधान लागू होंगे।
08. अन्य प्रावधान हेतु छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
09. आवेदक उपविधियों में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिये बाध्य है।
10. भवन का निर्माण अनुमोदित रेखांक के अनुसार किसी परिवर्धन या परिवर्तन के बिना किया जायेगा।
11. एतद् द्वारा दी गई मंजूरी किसी व्यक्ति के पक्ष में उस भूमि पर जिस पर संरचना का निर्माण पुनः निर्माण किया जाता है किसी स्वत्व की मान्यता को अंतर्हित नहीं करती और लोक निर्माण विभाग नगर पालिका तथा शासकीय नजूल भूमि पर किया गया कोई अतिक्रमण पूर्णतः ऐसे व्यक्ति का जोखिम पर होगा जो कि इस प्रकार का अतिक्रमण करें।
12. भवन में सेप्टिक टैंक या फ्लस पद्धति के शौचालय का ही निर्माण कराया जायेगा किसी भी साधारण, अस्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं किया जावेगा।
13. जल, प्रकाश, वायु तथा सवातन की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
14. निर्माण कार्य पूरा हो जाने के उपरांत नगर पालिका परिषद्, धमतरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूचना दी जावेगी और इस प्रकार निर्मित भवन का उपयोग नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण कर लिये जाने के पूर्व नहीं किया जावेगा।
15. यह अनुज्ञा जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधि मान्य होगी।
16. निर्माण कार्य मानचित्र अनुसार स्वयं की ही भूमि सीमा पर करना होगा, अन्यत्र भूमि/भवनों तथा सड़कों की ओर खिड़की छज्जा, बाल्कनी वगैरह नहीं निकालना होगा। गंदे पानी की निकासी व्यवस्था हेतु स्वयं की भूमि पर निजी खर्च पर शोक पीट का निर्माण करना होगा।

70

GMPIC 14.06.2011 Kalonijar.doc

Smt Archana Jain

17. पर्यावरण की दृष्टि से प्रति 1000 वर्गफुट भूमि में 1 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
18. 25 फ्लाई एश ईंट/टाईल्स/ब्लाक का इस्तेमाल निर्माण कार्य में करना होगा।
19. भू–स्वामित्व संबंधी विवाद के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अनुज्ञा स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
20. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व नगर पालिका परिषद को सूचना देना होगा।
21. विद्युतीकरण छ.ग विद्युत मंडल की देखरेख में उनके नियमों के अंतर्गत करना होगा।
22. जल प्रदाय के लिये भूखण्डों पर पी. एच. ई. विभाग के मानकों के अनुसार स्त्रोंतों का विकास करना होगा।
23. सीढ़ी एवं लिफ्ट का प्रावधान भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप किया जावे।
24. भूतल पर किये गये पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग उपयोग के लिये ही किया जावे।
25. ईमारत के उपर तड़ित चालक प्रतिरोधक का प्रावधान करना आवश्यक होगा।
26. सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय धमतरी द्वारा अनुमोदित अभिविन्यास एवं शर्तों का पालन करना होगा।
27. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर दी गयी अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

संलग्नः स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद धमतरी

Smt Archana Jain

कार्यालय नगर पालिका परिषद् धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

Email ID – cmodhamtari@gmail.com फोन नम्बर – 240608 / 241598 फैक्स नम्बर – 241598

प्रारूप – दो
(देखिये नियम – 3(6)

रजिस्ट्रीकरण संशोधन प्रमाण पत्र

दिनांक :– 3.4.2013 क्रमांक 124

एतद द्वारा छ.ग.नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित छ.ग.नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण) निबन्धन तथा शर्तें) नियम (1998) के अधीन विभिन्न शर्तों के तहत् इस कार्यालय के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमाक 18 दिनांक 09.06.2009 द्वारा **मेसर्स – सपना स्टील्स, प्रो. श्री दीपक जैन बस्तर रोड धमतरी तह.वो जिला – धमतरी (छ.ग.)** के नाम से जारी कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण **अरिहंत बिल्डर्स एण्ड कालोनाईजर प्रो. श्री दीपक जैन बस्तर रोड धमतरी तह.वो जिला –- धमतरी (छ.ग.)** के नाम से जारी किया जाता है।

मूल रजिस्ट्रीकरण में उल्लेखित शेष / पूर्व शर्तें यथावत् रहेंगी।

रजीयक को मुद्रा
Registrar Dhamtari

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् धमतरी

Smt Archana Jain

मानचित्र प्रति
नजूल नगर धमतरी
मोहल्ला (वार्ड) - आमापारा
वार्ड क्रमांक - 32 सी
भू खंड क्रमांक - 84/1, 84/3
क्षेत्रफल 130, 1140 वर्ग मीटर
क्रमांक 1/502

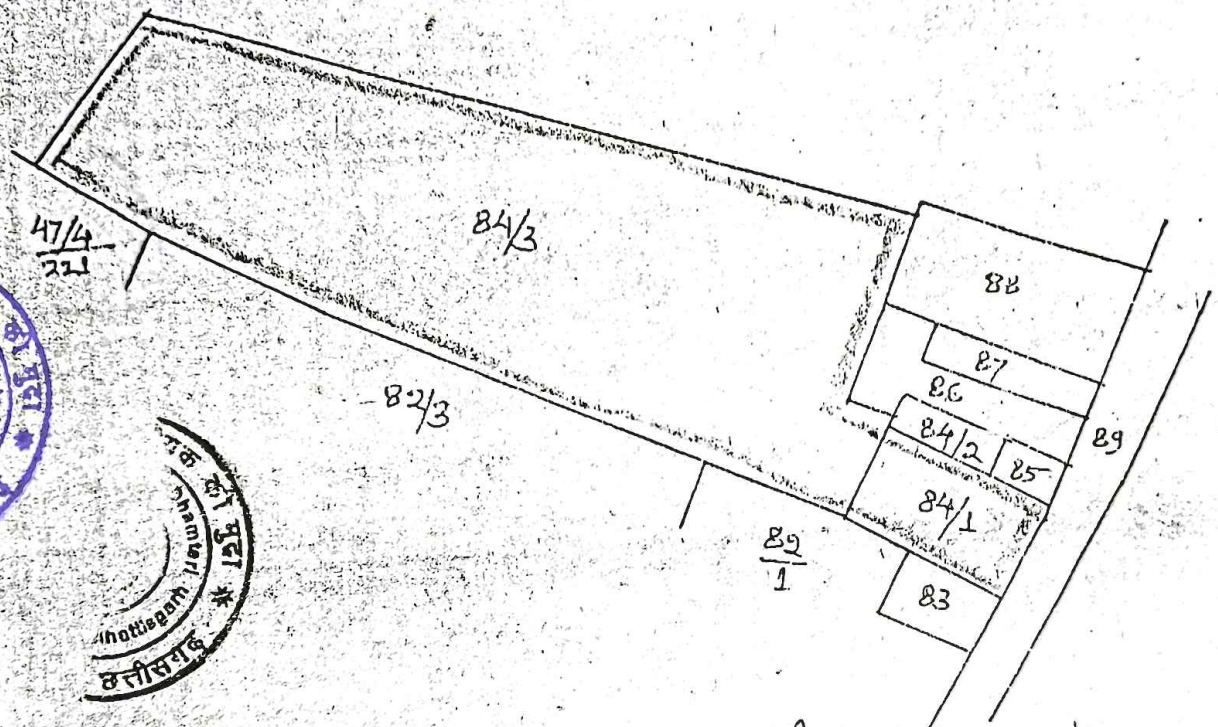

नजूल अधिकारी
धमतरी (छ.ग.)

13/5/10
राजस्व निरीक्षक
नजूल कॉम, धमतरी

डिप्टी कलेक्टर
धमतरी

तहसीलदार
(नजूल जांच)
धमतरी

Smt Archana Jain

अरिहंत श्री अपार्टमेंट
Deepak Jain
प्रोप्राईटर


SECOND ,THIRD& FOURTH FLOOR PLAN
SCALE= 1:100
FIRST FLOOR PLAN
SCALE= 1:100
GROUND FLOOR PLAN
SCALE= 1:100
TH SIDE ELEVATION
SCALE= 1:100
SECTION AA'
SCALE= 1:100
KEY PLAN OF
FIRST,SECOND ,THIRD& FOURTH FLOOR
SCALE= 200
SECTION BB'
SCALE= 1:100
BOUNDRY WALL
ROAD
DRAINAGE
SOAK PIT
SITE PLAN
CROSS SECTION OF SEPTIC TANK
(NOT TO SCALE)
LOCATION PLAN
(NTS)
BUP AREA STATEMENT
COMMON AREA STATEMENT
GROUND FLOOR COVERED AREA
SHEDULE OF OPENINGS
SIGN OF OWNER
SIGN. OF ARCHITE

पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 32 (A) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठ छाप

क्रमांक	विक्रेता/दावेदार का नाम पता	पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	बांये हाथ का अंगुष्ठ छाप
		 पंजीयक धमतरी	
		 पंजीयक धमतरी	
		 पंजीयक धमतरी	
		 पंजीयक धमतरी	



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 319217 319217

नोट : विलेख पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जिसे सुनकर सही होना स्वीकार किये विलेख स्वच्छ मुद्रित है ।





प्रारूपकर्ता एवं मुद्रण द्वारा :–एम.डी.लच्छवानी (एडवोकेट) धमतरी.....

धमतरी दिनांक :–16.09.2016

गवाह :–

विक्रेता

01.....

दीपक जैन पिता श्री मोहनलाल जी जैन
निवासी बस्तर रोड धमतरी .

02.....

क्रेता

इन्द्रजीत सिंह ठाकुर पिता श्री आर.एस.ठाकुर
निवासी जालमपुर वार्ड धमतरी.

क्रमांक 9950 दिनांक 16-09-16

संपादकर्ता/विक्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

क्रेता ..... वल्द .....

जाति ..... ग्राम .....

मार्फत/विक्रेता/क्रेता/खुद .....

वल्द ..... जाति ..... ग्राम .....

स्टाम्प का प्रकार व मूल्य .....

लेने वाले के हस्ता.

संजय लच्छवानी
स्टाम्प वेंडर, धमतरी

14 SEP 2016

ग्रंथ में काट छाट नहीं है
अस्पष्टता से प्रमाणित है।

उपपंजीयक धमतरी

उप-पंजीयक धमतरी के उप पंजीयक की मुद्रा
The Sub-Registrar Dhamtari
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़

... तारीख 16 SEP 2016
को पुस्तक क्र. Adj
ग्रंथ क्र. 10304 में पृष्ठ 13
57+69 क्रमांक 1704 देकर
पंजीयन किया गया।

उप-पंजीयक धमतरी

ग्रंथ शुल्क	
पंजीयन शुल्क	16945.00
[illegible] शुल्क	10-00
[illegible] शुल्क	10-00
[illegible] शुल्क	05-00
[illegible] शुल्क	
योग	16970.00

उपपंजीयक धमतरी